रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112021-231182
CG-DL-E-16112021-231182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4389]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 2021/कार्तिक 25, 1943
No. 4389]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 2021/KARTIKA 25, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2021

का.आ. 4755(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखंड राज्य के धनबाद जिला में NH-2 के कि.मी. 360.300 से कि.मी. 400.132 तक के भू-खण्ड (खैराटुण्ड़ा - बरवाअड्डा सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/छः लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सह सक्षम पदाधिकारी, धनबाद, झारखण्ड, को लिखित रूप मे किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के धनबाद जिले में NH-2 के कि.मी. 360.300 से कि.मी. 400.132 (खैराटुण्ड़ा - बरवाअड्डा सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: झारखंड		**जिले का नाम: धनबाद**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
तालुक का नाम: बाघमारा -कातरास					
गांव का नाम: दलुडीह (187)					
1	678	निजी	कृषि	0.3014000(एकर)	0.1219749
2	698	निजी	कृषि	0.7000000(एकर)	0.2832861
तालुक का नाम: गोविन्दपुर					
गांव का नाम: उदयपुर (84)					
1	2730	निजी	आवासीय	0.3050000(एकर)	0.1234318
			कुल	**1.3064**	**0.5287**

[फा. सं. 11015/5/DHN/LA/SixLaning/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2021

S.O. 4755(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening Six laning etc.), maintenance, management and operation of NH-2 in the stretch of land from Km 360.300 to Km. 400.132 (Khairatunda to Barwa Adda section) in the district of DHANBAD in the state of JHARKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, DLAO Cum CALA, Dhanbad, Jharkhand in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structures from Km. 360.300 to Km. 400.132 (Khairatunda to Barwa Adda section) of NH-2 in the district of DHANBAD in the State of JHARKHAND

State: JHARKHAND District: DHANBAD					
Sl. No	**Survey / Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectare)**
Taluk: Baghmara-Cum-Katras					
Village: Daludih (187)					
1	678	Private	Agriculture	0.3014000(Acre)	0.1219749
2	698	Private	Agriculture	0.7000000(Acre)	0.2832861
Taluk: Gobindpur					
Village: Udaypur (84)					
1	2730	Private	Residential	0.3050000(Acre)	0.1234318
			Total	1.3064	0.5287

[F. No. 11015/5/DHN/LA/SixLaning/3A]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.16 22:24:49 +05'30'